

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - २०/२०२०

सुमन मिंज बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई<sup>१</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

२७/१०/२०२०

आवेदक सुमन मिंज पिता बोनिफस मिंज निवास ग्राम- कैथोलिक आश्रम भुरकुण्डा, पो०- भुरकुण्डा, थाना-पतरातू जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा निचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो, ग्राम- कोतो, पो०- कोतो, थाना- पतरातू जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के नाम से हस्तान्तरित / बिक्री करने हेतु अनुमति आवेदन दायर किया गया है।

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा) (डिसमील में)
कोतो	पतरातू/ १८	०७	३९१	१०० डिसमील
कुल रकवा			१०० डिसमील (एक सौ डिसमील)	

अपर समाहर्ता, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक..... १३/११/२०२० ..... को रखें।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

१३/११/२०२०

जाँच प्रतिवेदन भ्राम्प।

प्रधम पक्ष — भ्रु०

On 18.12.2020.

१८/१२/२०२०

जाँच प्रतिवेदन भ्राम्प।

ठाकेकु — भ्रुपाल्पित

दृष्टव्य १०/११/२०२१ को रखें।

६७/१००  
५/११/२०२१

20/01/2024

जाँच प्रतिवेदन अप्पामा  
आवेदक - Absent

on

10/02/21



10/02/2024

जाँच प्रतिवेदन अप्पामा )  
आवेदक - अनुपस्थित

दिनांक 24/02/2024 के लिए



24/02/2024

जाँच प्रतिवेदन अप्पामा )

आवेदक - अनुपस्थित.

1<sup>st</sup> Party regularly absent. Dropped due to disinterest/default .

24/02/21